न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/218/2017

उनवान

1. ईश्वर पिता धूला गुर्जर निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/प्रतिवादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा
3. भू प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स /प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के प्रकरण
संख्या 81/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.5.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री सुनिल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 16.10.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सगरेव तहसील रायपुर स्थित आराजी नम्बर 1619/7 रकबा 5 बीघा भूमि वादी के पिता धूला पिता मोडा गुर्जर के नाम पर जरिये पत्रावली संख्या 131 सन् 1963 के आवंटित हुई। आवंटन होने पर इन्तकाल संख्या 393 दिनांक 10.9.1969 को फैसल किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया । आवंटन के बाद आवंटी धूला जी को आवंटनसुदा 5 बीघा भूमि की नपती कर पटवारी हल्का द्वारा पैमूद कर सुपुर्द की गई। पटवारी हल्का द्वारा सुपुर्द की गई साबिक आराजी नम्बर 1622 व 1623 के उत्तरी दिशा में आराजी संख्या 1619 में से सुपुर्द की गई। जिस पर आवंटन के समय से ही धूला जी/आवंटी का एवं धूला जी की मृत्यु के बाद वादी का निर्बाध निरन्तर रूप से शांतिपूर्वक आधिपत्य चला आ रहा है। आंवटन के बाद आवंटी धूला जी ने उक्त आवंटित भूमि पर काफी लागत लगाकर काबिल काश्त बनाया व आवंटित रकबे के चारों तरफ डोल लगवाकर थोहरों की बाड भी लगवाई जो वर्तमान में मौजूद है। धूला जी के इन्तकाल के बाद वादी ने भी उक्त भूमि पर काफी खर्चा कर काबिलकाश्त बनाया है। जिसमें वादी हर वर्ष काश्त कर काश्त का लाभ लेता आ रहा है।

2. आवंटित भूमि आवंटी धूला जी के आवंटन होने के बाद धूला जी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज की गई । जिसका राजस्व रेकार्ड जमाबंदियों में गैर खातेदारी का अंकन किया गया । धूला जी ने अपने जीवनकाल में आवंटित भूमि आराजी नम्बर 1619/7 रकबा 5 बीघा को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार के रूप में दर्ज कराने बाबत तहसील कार्यालय रायपुर में आवेदन पत्र पेश किये लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई और आवंटित आराजी गैर खातेदारी अधिकार से ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही । धूला जी का 15 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया । अन्य ग्रामों के साथ सगरेव का भी नवीन बन्दोबस्त हुआ उस वक्त भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर आवंटित आराजी नम्बर 1619/7 रकबा 5 बीघा को नवीन जमाबंदी में दर्ज नहीं किया और न ही साबिक आराजी नम्बर 1619/7 के नवीन नम्बर ही कायम किये और भू प्रबन्ध के बाद वाले नवीन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं की । लेकिन मौके पर आज तक भी कब्जा वादी का चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य की प्रथम बार जानकारी दिनांक 18.4.2013 को जब वादी जमीन के विकास के लिए कृषि ऋण लेने हेतु जमाबंदी की नकल लेने के लिए पटवारी हल्का के पास गया तब पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि जमाबंदी में उक्त आवंटित आराजी का दाखिला नहीं है। इस पर आवश्यक नकलें प्राप्त की । अतः साबिक आराजी नम्बर 1619/7 रकबा 5 बीघा का नवीन भू प्रबन्ध के बाद वादी के नाम पर अंकन नहीं किया गया एवं न ही नक्शे में तरमीम की गई है। जिससे वादी के हकों पर विपरीत असर पड रहा है। अतः साबिक आराजी नम्बर 1619/7 के नवीन नम्बर कायम कर वादी को खातेदारी काश्तकार दर्ज किये जाने एवं राजस्व नक्शे में तरमीम कराई जाने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री खिलाफ कानून, वाकेयात एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत पारित किये जाने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 5.10.2016 को जवाब दावा पेश किया एवं लिखा कि 5 बीघा भूमि वादी के नाम पर दर्ज होनी चाहिये थी । जवाब दावा पेश होने पर पत्रावली मे तनकियात

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कायम होनी चाहिये थी उसके उपरान्त वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य ली जानी चाहिये थी। लेकिन पत्रावली में कोई तनकी कायम नहीं की गई और पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में नियत कर दी गई। दिनांक 2.11.2016को अपीलाण्ट/वादी की ओर से प्रकरण में कमिश्नर रिपोर्ट मंगाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा दी का पेश किया गया । जिसे स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 9.11.2016, 23.11.2016, 21.12.2016, 4.1. 2017, 1.2.2017, 22.3.2017, 10.5.2017, 10.5.2017 तक मौका कमिश्नर रिपोर्ट पेश होने के लिए चलती रहीं। इसी दरमियाद राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 का आयोजन हुआ । पत्रावली को दिनांक 26.4.2017 को पेशी में लेकर दिनांक 11.5.2017 को पत्रावली अटल सेवा केन्द्र सगरेव पर नियत कर दी गई उक्त दिनांक को अटल सेवा केन्द्र सगरेव पर वादी बीमार होने से उपस्थित नहीं हुआ । न वादी अपीलार्थी के अधिवक्ता ही उपस्थित हुए तथा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर दी गई जिस पर उपस्थित नहीं होते हुए भी अपीलाण्ट/वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उपस्थिति दर्ज कर दी गई और अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया गया । अतः विधिविरूद्ध होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय न तो प्रकरण में तनकियात कायम की एवं न ही अपीलार्थी/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया है। अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का भी प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन नहीं किया गया एवं मनमकसूद तरीके से वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे।

7. प्रत्यर्थीगण की ओर से योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रकरण में अपीलार्थी/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे। पुराने आराजी नम्बर 1619/17 के कायम नये नम्बर वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलार्थी/वादी का कथन है कि साबिक आराजी नम्बर 1619/7 रकबा 5 बीघा भूमि का वादी के पिता को आवंटन किया गया था। आवंटन के बाद से ही आवंटी एवं उनकी मृत्यु के बाद वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादी द्वाराकथन किया गया कि भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी नम्बर 1619/7 रकबा 5 बीघा के कोई नवीन नम्बर नहीं बनाये गये । दिनांक 15.2.2017 को पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में भी वादी का कब्जाकाश्त मौके पर होना एवं डोल व थोहर की बाड लगी होना अंकित किया है। अतः कब्जे के आधार पर नये–पुराने नक्शे को देखते हुए यह जांच रिपोर्ट भी प्राप्त की जानी आवश्यक है कि क्या उक्त वर्तमान कब्जा पूर्व में आवंटित भूमि आराजी नम्बर 1619/17 पर ही है अन्यथा नहीं ।

9. अपीलाधीन प्रकरण में दिनांक 5.10.2016 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया । उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में तनकियात कायम करनी चाहिये थी एवं उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर तनकीवाईज निर्णय पारित करना चाहिये था। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। चूंकि मूल वाद में पक्षकारों के हक हितो का अंतिम तौर से निस्तारण किया जाता है। जबकि अपीलाधीन मामले में अपीलार्थी/वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया जाना उचित नहीं समझते है।

10. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.5.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकियधत कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड, नये–पुराने नक्शे का अवलोकन कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 9.1.19 को उपस्थित रहें।

11. निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

16/10/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा